भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2409

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रम संहिता का कार्यान्वयन

†2409. श्री ए. राजाः

प्रो. सौगत रायः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना जारी की है, जिन पर ट्रेड यूनियन नेताओं ने आपत्तियाँ जताई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का श्रम संहिताओं के उपबंधों में उठाए गए कुछ जटिल मुद्दों के समाधान हेतु भारतीय श्रम सम्मेलन या सरकार, नियोक्ता और ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और व्यापार संघ मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य के लिए प्रस्ताव के लक्ष्य क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो ट्रेड यूनियनों द्वारा दर्ज कराए गए कड़े विरोध और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी उक्त संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन की अपेक्षा सरकार किस प्रकार करती है; और

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने नई चार श्रम संहिताओं को कार्यान्वित करने के लिए नियमों का प्रारूप तैयार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): चारों श्रम संहिताएं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात पारित की गईं थी। हितधारकों द्वारा की गई टिप्पणियों/आशंकाओं को स्वीकार किया गया और चारों श्रम संहिताओं को पारित करने से पहले उनकी जांच की गई थी। ये संहिताएं दिनांक 21.11.2025 से पूरे देश में प्रभावी हुईं।

चारों श्रम संहिताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए थे। मंत्रालय चारों श्रम संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है।

जारी...2/-

इसके अलावा, कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कई ठोस प्रावधान किए गए हैं। वार्ता संघ और वार्ता परिषद की मान्यता के माध्यम से कामगारों के सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत किया गया है और इसे सांविधिक बनाया गया है। दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रावधान विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा।

(ङ): राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अभी भी चारों श्रम संहिताओं के अतर्गत नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों की संहितावार स्थिति निम्न प्रकार है:

क) मजदूरी संहिता, 2019: 34
ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: 35
ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: 34
घ) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020: 35

*****